उड़न दस्ते बताएंगे, कहां–कहां हो रही है बिजली चोरी

- 12 उड़न दस्तों का गठन
- 72 लोग होंगे उड़न दस्तों में

नई दिल्लीः 23 मई, 2014। अब खुफिया उड़न दस्ते बताएंगे कि बीएसईएस के इलाकों में कहां–कहां बिजली की चोरी हो रही है। बिजली चोरी पकड़ने के लिए बीएसईएस ने 72 सदस्यों वाले 12 खुफिया उड़न दस्तों को गठन किया है, जो देर रात से लेकर सुबह तक सड़कों व गलियों में घूमेंगे और खुफिया तरीके से यह पता करेंगे कि किन फैक्ट्रियों, ऑफिसों व घरों में बिजली की चोरी हो रही है।

चोरी की भनक लगते ही ये खुफिया उड़न दस्ते बीएसईएस की एन्फोर्समेंट टीम और दिल्ली पुलिस को मौके पर बुलाएंगे, और बिजली की चोरी कर रहे लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। मौके पर ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

ये उड़न दस्ते सबसे पहले उन फैक्ट्रियों, दफ्तरों और घरों की लिस्ट निकालेंगे, जहां किसी कारण से बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। उसके बाद ये दस्ते ऐसी जगहों पर जाकर देखेंगे कि कनेक्शन कटने के बावजूद वहां बिजली तो नहीं चल रही है। अगर बिजली चल रही है, तो तुरंत वे एन्फोर्समेंट टीम व दिल्ली पुलिस को सूचित कर उन्हें मौके पर बुलाएंगे।

इस बीच, पिछले करीब एक माह के दौरान, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शुरू किए गए रात्रिकालीन छापेमारी अभियान के तहत, बीआरपीएल और बीवाईपीएल ने 3,330 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी है और 65 से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

3,330 किलोवॉट की बिजली चोरी इतनी है, जिससे करीब 1900 छोटे व निम्नमध्यवर्गीय घरों को बिजली आपूर्ति की जा सकती है। बिजली की चोरी करते पकड़े गए लोगों पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके तहत, दोषियों को 3 साल तक की जेल या भारी जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली पुलिस की मदद से उन इलाकों में भी बिजली चोरी के खिलाफ रात्रिकालीन अभियान चलाया जा रहा है, जहां आम तौर पर एजेंसियां जाने से परहेज करती हैं। क्योंकि, कुछ असामाजिक तत्व बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम पर अचानक हमला कर देते हैं। बेहद संवेदनशील माने जाने वाले ओल्ड सीलमपुर, दल्लूपुरा गांव, गांजीपुर गांव, घोंडा गांव, शेरावाला बाग, कबीर नगर, नजफगढ़, नांगलोई आदि इलाकों में भी रात्रिकालीन छापेमारियां की जा रही हैं। साथ ही, बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है।

उपरोक्त के अलावा, जिन अन्य इलाकों में पिछले करीब एक माह के भीतर बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई है, वे हैं:

बीवाईपीएलः त्रिलोकपुरी, खिचड़ीपुर गांव, गाजीपुर डेयरी फार्म, घरोली गांव, घोंडली, कौशिकपुरी गांधी नगर, शाहदरा, झिलमिल कॉलोनी, शांति मोहल्ला कृष्णा नगर, ज्वाला नगर, अजीत नगर, हज मंजिल, कटरा हरदयाल चांदनी चौक, जीनत महल, गंज मीर खान, चांदनी महल, पहाड़ी धीरज, विजय मोहल्ला मौजपुर, न्यू सीलमपुर और जनता मजदूर कॉलोनी।

बीआरपीएलः तिलकनगर, पालम, नांगलोई, जफ्फारपुर, बिंदापुर, मुनीरका, तिगड़ी, मेहरौली, हरकेश नगर, गोबिंदपुरी, जामिया नगर, संगम विहार, आयानगर।

बिजली वितरण सिस्टम में ट्रिपिंग का एक बड़ा कारण बिजली की चोरी है। अवैध तरीके से बिजली खींचने की वजह से सिस्टम में ट्रिपिंग हो जाती है। इस कारण ईमानदार उपभोक्ताओं तक निर्बाध और गुणवत्तायुक्त बिजली पहुंचने में बाधाएं आती हैं।

जुलाई 2002 से लेकर अब तक बीएसईएस ने बिजली चोरी के 2.5 लाख मामले पकड़े हैं, जिनमें 7.65 लाख किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बीएसईएस ने अपने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि 399 99 707 पर बीआरपीएल को और 399 99 808 पर बीवाईपीएल को बिजली चोरी के बारे में सूचना दें।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।